प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 17.08.2025

कूटरचना कर अवैध पासपोर्ट/वीजा तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के आपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 नवीन कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0 एन0 एस0 से संबंधित अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ डॉ0 राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही का ज रही है.

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा एशिया टेक ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेन्टर अशोक गैस गोदाम रोड नियर रेलवे लाईन सिंहडीया कूड़ाघाट गोरखपुर के नाम से विदेश भेजने हेतु ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। अभियुक्तों द्वारा 03 लोगों (वादीगण) को विदेश (इजराईल) भेजने की बात कर प्रत्येक व्यक्ति से तीन लाख (300000) रूपये की मांग किया गया। पैसे लेने के बाद अभियुक्तों द्वारा अवैध कूटरचित वीजा व टिकट दिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश कुमार उर्फ डॉ0 राजेन्द्र पुत्र स्व0 देवनरायण प्रशाद निवासी देवरिया रजला सेंटर थाना सदर जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 407/25 धारा 319(2) /318 (4) 338/ 336(3) /340(2) बी0 एन0 एस0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 नवीन कुमार राय चौकी प्रभारी ई0कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 अमलेश सिंह यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 नन्दन शर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर